उत्तर प्रदेश शासन
गृह विभाग (पुलिस) अनुभाग–1
संख्या: 6/2017/2458/6–पु–1–17–53/2015
लखनऊ: दिनांक: 07 दिसम्बर, 2017

## अधिसूचना

### प्रकीर्ण

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 और धारा 46 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा–(2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्तियों और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2015 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

## उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली–2017

| | | |
|---|---|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2017 कही जायेगी। (2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। | |
| नियम–5 का संशोधन | 2– उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2015, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, (क) नियम–5 में, उपनियम (1) में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (दो) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :– | |
| | **स्तम्भ–1**<br>**विद्यमान खण्ड** | **स्तम्भ–2**<br>**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड** |
| | (दो) पचास प्रतिशत पदों को बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से निम्नलिखित रीति से भरा जायेगा:–<br>(1) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों को कुल संख्या में से दो तिहाई पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस में से भरे जाएंगे, जो अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये हों और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में से नागरिक पुलिस के उपनिरीक्षकों के शेष एक तिहाई पद ऐसे आरक्षी पुलिस अथवा मुख्य आरक्षी पुलिस में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे:–<br>(क) जिन्होंने आरक्षी पुलिस के रूप में अथवा दोनों पदों आरक्षी पुलिस तथा मुख्य आरक्षी पुलिस के पदों पर की गई कुल सेवावधि को मिलाते हुए, भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 07 वर्ष की सेवा | (दो) उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों के कुल संख्या में से पचास प्रतिशत पद, अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस में से भरे जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि सहित तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। |

पूर्ण कर ली हो,

(छ) जिनकी भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को आयु 40 वर्ष से अधिक न हो,

(ज) जिन्हें विगत 05 वर्षों में समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 के नियम–14के उपनियम (2) के अधीन दण्डित न किया गया हो, और जो एक से अधिक बार उक्त पाच वर्ष के पूर्व उक्त नियमावली के अधीन दण्डित न किये गये हों;

(झ) जो मद 'ग' में निदिष्ट नियमावली के नियम 14 के उप नियम (1) के अधीन भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस के पूर्व दण्डित न किय गये हो;

(ञ) जिन्हें भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस के पूर्व सेवा में वार्षिक अभ्युक्ति में प्रतिकूल प्रविष्टि न प्रदान की गयी हो;

(ट) जिसकी रात्यनिष्ठा कभी भी भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस के पूर्व रोकी न गयी हो।

टिप्पणी:–उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के उपलब्ध रिक्तियों मे प्रत्येक वर्ष पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस के कुल संख्या के दो तिहाई पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे और शेष एक तिहाई पद विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा तब तक भरे जाते रहेंगे जब तक इस नियमावली के अधीन अधिसूचना के दिनांक के पश्चात विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा कुल पद भरे नहीं जाते हैं और जब तक उपनिरीक्षक, सिविल पुलिस के कुल स्वीकृत पद पदोन्नति द्वारा नहीं भर लिये जाते है। उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस के समस्त स्वीकृत पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने के पश्चात अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस के पदों में तत्पश्चात हुई रिक्ति उस श्रेणी से भरी जायेगी और विभागीय परीक्षा के आधार पर भरे गये उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस के पदों में तत्पश्चात हुई रिक्ति उस श्रेणी से भरी जायेंगी।

(ख) उपनियम (2) में, नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :–

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान खण्ड | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड |
|---|---|
| (क) निरीक्षक, नागरिक पुलिस के शत प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति से भरे जायेंगे :–<br>(1) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले निरीक्षक, नागरिक पुलिस के कुल संख्या के पदों के दो तिहाई पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के | (क) निरीक्षक नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों के कुल संख्या के शत प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे |

| | | |
|---|---|---|
| | आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम सम्मिलित रूप से नियुक्त नागरिक पुलिस के उप निरीक्षकों में से भरे जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और निरीक्षक, नागरिक पुलिस के शेष एक तिहाई पद ऐसे उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भरे जायेंगे:–<br>(एक) जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो;<br>(दो) जिनकी भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को आयु 45 वर्ष से अधिक न हो,<br>(तीन) जिन्हें विगत 05 वर्षों में समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 के नियम–14 के उपनियम (2) के अधीन दण्डित न किया गया हो और जिन्हें उक्त नियमावली के अधीन उक्त पांच वर्ष के पूर्व एक से अधिक बार दण्डित न किया गया हो,<br>(चार) जिन्हें मद (तीन) में निर्दिष्ट नियमावली के नियम–14 के उपनियम (1) के अधीन भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस के पूर्व दण्डित न किया गया हो;<br>(पांच) जिन्हें भर्ती वर्ष के प्रथम दिन के पूर्व सेवा में वार्षिक अभ्युक्तियों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न प्रदान की गयी हो;<br>(छः) जिसकी सत्यनिष्ठा कभी भी भर्ती वर्ष के प्रथम दिन के पूर्व सेवा में रोकी न गयी हो।<br>टिप्पणी:–निरीक्षक,नागरिक पुलिस के उपलब्ध रिक्तियों में प्रत्येक वर्ष पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले निरीक्षक, नागरिक पुलिस के कुल संख्या के दो तिहाई पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे और शेष एक तिहाई पद विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा तब तक भरे जाते रहेंगे जब तक इस नियमावली के अधीन अधिसूचना के दिनांक के पश्चात विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा कुल पद भरे नहीं जाते हैं और जब तक निरीक्षक, नागरिक पुलिस के कुल स्वीकृत पद पदोन्नति द्वारा नहीं भर लिये जाते हैं। निरीक्षक, नागरिक पुलिस के समस्त स्वीकृत पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने के पश्चात् अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत निरीक्षक, नागरिक पुलिस के पदों में तत्पश्चात हुई रिक्ति उस श्रेणी से भरी जायेगी और विभागीय परीक्षा के आधार पर भरे गये निरीक्षक, नागरिक पुलिस के पदों में तत्पश्चात हुई रिक्ति उस श्रेणी से भरी जायेंगी। | उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस में से भरे जायेंगे, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि सहित सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। |

नियम–17 का संशोधन

3– उक्त नियमावली में नियम–17 में उपनियम (1) में,

(क) नीचे **स्तम्भ–1** में दिए गए खण्ड (क) के स्थान पर **स्तम्भ–2** में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान खण्ड | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड |
| --- | --- |
| (क) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों के कुल संख्या के दो तिहाई पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से, इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट के अनुसार अर्हकारी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य आरक्षियों में से भरे जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और उपनिरीक्षक, सिविल पुलिस के शेष एक तिहाई पद बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से नियम–5 के उपनियम(1) के खण्ड (दो) में यथा प्रदत्त पात्रता मानदण्ड पूरा करने वाले आरक्षी पुलिस अथवा मुख्य आरक्षी पुलिस में से विभागीय परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित रीति से भरे जायेंगे :–<br>(एक) लिखित परीक्षा<br>पुलिस मुख्यालय नियम 5 के उपनियम (1) के खण्ड (2) में यथा प्रदत्त पात्रता मानदण्ड पूरा करने वाले आरक्षी पुलिस एवं मुख्य आरक्षी पुलिस के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा और उपरोक्त पात्रता हेतु आवेदनों की संवीक्षा करने के पश्चात समस्त पात्र आरक्षी पुलिस एवं मुख्य आरक्षी पुलिस की सूची, बोर्ड को अग्रसारित की जायेगी। बोर्ड सर्वप्रथम उनकी लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। ये लिखित परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रकार की होंगी। लिखित परीक्षा आयोजित करने की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे उसके वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अवधारित किया जाएगा और बोर्ड इस पाठ्यक्रम को अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगा। लिखित परीक्षा 200 अंको की होगी और लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे।<br>(दो) शारीरिक दक्षता परीक्षा<br>उपनियम (1) में निर्दिष्ट लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित हों। इस हेतु पुरूष अभ्यर्थियों को 2.4 | (क) उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों के कुल संख्या में से पचास प्रतिशत पदों को अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस में से भरे जायेंगे, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि सहित तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। |

किमी0 की दौड़ 20 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थियों को 1.2 किमी0 की दौड़ 11 मिनट में पूरा करना होगा। जो अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार दौड़ को निर्धारित समय में पूरा करने में विफल रहते हैं, वे प्रोन्नति हेतु पात्र नहीं होंगे।

(तीन) सेवा **अभिलेख**

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा गठित की गयी चयन समिति द्वारा सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक प्रदान किया जायेगा :–

(क) सेवा अभिलेखों के आधार पर अधिकतम 70 अंक निम्नानुसार प्रदान किये जायेंगे:–

(क) सेवा अवधि – 30 अंक
(ख) वार्षिक अभ्युक्ति – 30 अंक
(ग) पदक इत्यादि – 10 अंक

(ख) सेवा **अभिलेखों के विभिन्न मदों के आधार पर** अंक आवंटन **के निम्नलिखित मानदण्ड होंगे:–**

| | | | |
|---|---|---|---|
| क | सेवा अवधि के लिए अंक | **अधिकतम 30 अंक** (आरक्षी/मुख्य आरक्षी के रूप में पूर्ण की गई प्रत्येक 01 वर्ष की सेवा के लिये 02 अंक) **टिप्पणी** :–15 वर्ष से कम की सेवा अवधि के लिए पूर्ण किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 02 अंक और अपूर्ण किए गए वर्ष के लिए पूर्ण किए गये प्रत्येक तीन माह के लिए 0.5 अंक प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार पूर्ण किए गए प्रथम तीन माह के पश्चात् 0.5 अंक और 06 माह पूरा करने के पश्चात 1 अंक एवं 09 माह पूरा करने के पश्चात 1.5 अंक प्रदान किए जाएंगे। तिमाही पूर्ण करने के पश्चात आने वाले माह/दिनों के लिए कोई अंक नहीं प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक कर्मचारी की सेवा अवधि की गणना पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण किए जाने के दिनांक से की जाएगी। | |
| ख | वार्षिक अभ्युक्तियों के लिए अंक | **विगत 15 वर्ष के सेवा अवधारण के लिए अधिकतम 30 अंक निम्नानुसार प्रदान किये जायेगें :–** | |
| | | 1–प्रत्येक आउटस्टैंडिंग/उत्कृष्ट/सर्वोच्च या सर्वोत्कृष्ट के लिए | 2.0 अंक |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2–प्रत्येक वेरीगुड/ अतिउत्तम/ एक्सीलेन्ट के लिए | | | 1.5 अंक |
| | | 3–प्रत्येक गुड/ उत्तम/बहुत अच्छा के लिए | | | 1.0 अंक |
| | | 4–प्रत्येक संतोषजनक/ अच्छा अथवा औसत या एवरेज के लिए | | | 0.5 अंक |
| | | टिप्पणी:–जहाँ वार्षिक अभ्युक्ति ऊपर दर्शायी गयी विहित श्रेणीकरण में न लिखी गयी हो या कोई श्रेणीकरण न प्रदान किया गया हो वहां चयन समिति सम्पूर्ण प्रविष्टि का परीक्षण करेगी और उसका निर्धारण करने के पश्चात तदनुसार अंक प्रदान किए जाएंगे। | | | |
| ग | पदक इत्यादि | अधिकतम 10 अंक | | | |
| | | 1–भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक/ वीरता पदक के लिए | | | 05 अंक |
| | | 2–उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल एवं मा0मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस पदक/ वीरता पदक के लिए | | | 03 अंक |
| | | 3– उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह/ सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह/ पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश का प्रशंसा चिन्ह | | | 02 अंक |
| घ | ऋणात्मक अंक | (क) | यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 के नियम–14(2) के अधीन लघु दण्ड | | प्रत्येक लघु दण्ड के लिये 05 अंक घटाये जायेंगे |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (ख) | यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 के अधीन छुद्र दण्ड | प्रत्येक छुद्र दण्ड के लिये 1.0 अंक घटाया जायेगा | |

(चार) योग्यता सूची

बोर्ड, सफल अभ्यर्थियों की उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और सेवाभिलेखों के आधार पर प्राप्त अंकों के योग के आधार पर योग्यता सूची तैयार करेगा।

यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो उनकी योग्यता निम्नानुसार अवधारित की जायेगी:–

(क) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों तो मुख्य आरक्षी, पुलिस को अधिमान प्रदान किया जायेगा।

(ख) उपनियम (2) में, नीचे **स्तम्भ–1** में दिए गए खण्ड **(क)** के स्थान पर **स्तम्भ–2** में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :–

| **स्तम्भ–1**<br>**विद्यमान खण्ड** | **स्तम्भ–2**<br>**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड** |
|---|---|
| (क) निरीक्षक नागरिक पुलिस के कुल संख्या के पदों के दो तिहाई पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से, ऐसे उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस में से भरे जायेंगे, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि सहितसात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।<br><br>(क–1) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों में से शेष एक तिहाई पद बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से नियम–5 के उपनियम (2) के खण्ड (क) में यथा प्रदत्त पात्रता मानदण्ड पूरा करने वाले उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस में से विभागीय परीक्षा के आधार पर, निम्न रीति से भरे जायेंगे :–<br><br>(1) लिखित परीक्षा<br><br>पुलिस मुख्यालय नियम नियम–5 के | (क) निरीक्षक नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों के कुल संख्या के शत प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस में से भरे जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि सहित सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो । |

| | | |
|---|---|---|
| | उपनियम (2) के खण्ड (क) में यथा प्रदत्त पात्रता मानदण्ड पूरा करने वाले उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस को आवेदन करने हेतु आमंत्रित करेगा और पात्रता हेतु उक्त आवेदनों की सन्निरीक्षा करने के पश्चात समस्त पात्र उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस की सूची बोर्ड को अग्रसारित की जायेगी। बोर्ड सर्वप्रथम उनकी लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। यह लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। लिखित परीक्षा आयोजित करने की विस्तृत प्रकिया का विनिश्चय बोर्ड द्वारा किया जायेगा और अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। बोर्ड इस लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम को पुलिस महानिदेशक के अनुमोदनोपरान्त अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगा। लिखित परीक्षा 200 अंको की होगी और लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे ।<br><br>(2) शारीरिक दक्षता परीक्षा<br><br>लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। इस हेतु पुरूष अभ्यर्थियों से 2.4 किमी0 की दौड़ 22 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थियों से 1.2 किमी0 की दौड़ 12 मिनट में पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी। जो अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार दौड़ को निर्धारित समय में पूरा करने में विफल रहते हैं वे पदोन्नति हेतु पात्र नहीं होंगे ।<br><br>(3) सेवा अभिलेख<br><br>शारीरिक दक्षता में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा गठित की गई चयन समिति द्वारा सेवा अभिलेखों के आधार पर निम्नानुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।<br><br>(एक) सेवा अभिलेखों के आधार पर अधिकतम 70 अंक निम्नलिखित रीति से प्रदान किये जायेंगे:–<br><br>(क) सेवा अवधि – 30 अंक<br><br>(ख) वार्षिक अभ्युक्ति – 30 अंक<br><br>(ग) पदक इत्यादि – 10 अंक<br><br>(दो) सेवा अभिलेख के विभिन्न मदों के आधार पर अंक आवंटन के मापदण्ड | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (एक) | सेवा अवधि के लिए अंक | अधिकतम 30 अंक<br>(उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस के रूप में पूर्ण की गई प्रत्येक एक वर्ष की सेवा के लिये 02 अंक)<br>टिप्पणी:—15 वर्ष से कम अवधि की सेवा के लिए पूर्ण किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 02 अंक और अपूर्ण वर्ष के लिए पूर्ण किए गये प्रत्येक तीन माह के लिए 0.5 अंक प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार प्रथम तीन माह पूरा करने के पश्चात 0.5 अंक, 06 माह पूरा करने के पश्चात 1 अंक तथा 09 माह पूरा करने के पश्चात 1.5 अंक प्रदान किए जाएंगे। तिमाही पूरा करने के पश्चात आने वाले माह और दिनों के लिए कोई अंक नहीं प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक कर्मचारी की सेवा अवधि की गणना उसके पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण किए जाने के दिनांक से की जाएगी। | |
| | (दो) | वार्षिक अभ्युक्ति के लिए अंक | विगत 15 वर्षों की सेवा के अवधारण के लिएअधिकतम 30अंक निम्नानुसार प्रदान किये जायेगें :— | |
| | | | 1—प्रत्येक आउटस्टैंडिंग/उत्कृष्ट/सर्वोच्च/सर्वोत्कृष्ट — 2.0 अंक | |
| | | | 2—प्रत्येक वेरीगुड/अतिउत्तम/एक्सीलेन्ट — 1.5 अंक | |
| | | | 3—प्रत्येक गुड/उत्तम/बहुत अच्छा — 1.0 अंक | |
| | | | 4—प्रत्येक संतोषजनक /अच्छा /औसत या एवरेज — 0.5 अंक | |
| | | | टिप्पणी:—जहाँ ऊपर दर्शायी गयी विहित श्रेणीकरण में वार्षिक अभ्युक्ति न लिखी गयी हो या कोई श्रेणीकरण न प्रदान किया गया हो वहाँ सम्पूर्ण प्रविष्टि का परीक्षण चयन समिति द्वारा किया जायेगा और | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | इसका निर्धारण करने के पश्चात तदनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे। | | |
| (तीन) | पदक इत्यादि | अधिकतम 10 अंक | | |
| | | 1–भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक /वीरता पदक | | 05 अंक |
| | | 2–उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल एवं मा0 मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस पदक /वीरता पदक | | 03 अंक |
| | | 3–उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह/ सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह/ पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशंसा चिन्ह | | 02 अंक |
| (चार) | ऋणात्मक अंक | (एक) | यथासंशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी केपुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 के नियम14(2) के अधीन लघु दण्ड | प्रत्येक लघु दण्ड के लिये 05 अंक घटाये जायेंगे |

(4) योग्यता सूची

बोर्ड, सफल अभ्यर्थियों की उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और उनके सेवा अभिलेखों के आधार पर प्राप्त अंकों के योग के आधार पर योग्यता सूची तैयार करेगा। यदि दो या दो से अधिक उपनिरीक्षकों के अंक समान हों तो उनकी योग्यता का विनिश्चिय उपनिरीक्षक पद पर उनकी पृथक–पृथक ज्येष्ठता के आधार पर किया जायेगा। बोर्ड रिक्तियों की संख्या के अनुसार योग्यता कम में चयन सूची तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड इस सम्बन्ध में कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं करेगा। विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात यह चयन सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी।

| | | |
|---|---|---|
| नियम–22 का संशोधन | 4– उक्त नियमावली में, नियम 22 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात :– | |
| | स्तम्भ–1<br>विद्यमान उपनियम | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम |
| | (3) निरीक्षक नागरिक पुलिस की ज्येष्ठता का अवधारणः<br>पदोन्नति के आधार पर नियुक्त निरीक्षकों की ज्येष्ठता उनके चयन के दिनांक से अवधारित की जायेगी। यहाँ चयन का दिनांक का तात्पर्य उस दिनांक से है जिस दिनांक को भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात बोर्ड द्वारा प्रेषित चयन सूची को विभागाध्यक्ष अनुमोदित करें। यदि निरीक्षक के पद पर पदोन्नति किसी परीक्षा के माध्यम से की गयी हो तो पदोन्नति के पश्चात नियुक्त निरीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता बोर्ड द्वारा जारी की गयी अन्तिम चयन सूची के अनुसार होगी। यदि निरीक्षक के पद पर पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर की जाती है तो निरीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक संवर्ग में ज्येष्ठता के आधार पर होगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित निरीक्षक पश्चातवर्ती वर्ष में चयनित निरीक्षक से ज्येष्ठ होगा। | (3) निरीक्षकों की ज्येष्ठता का अवधारण–<br>पदोन्नति के आधार पर नियुक्त निरीक्षकों की ज्येष्ठता उनके चयन के दिनांक से अवधारित की जायेगी। एक ही चयन दिनांक को नियुक्त निरीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक सवंर्ग में उनकी ज्येष्ठता के अनुसार होगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित निरीक्षक, पश्चातवर्ती वर्ष में चयनित निरीक्षकों से ज्येष्ठ होंगे । यहाँ चयन के दिनांक का तात्पर्य उस दिनांक से है, जिस दिनांक को विभागाध्यक्ष, भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण किये जाने के पश्चात बोर्ड या चयन समिति द्वारा प्रेषित की गयी चयन सूची को अनुमोदित करे। |

( अरविन्द कुमार )
प्रमुख सचिव, गृह